न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा उन्नाव।

UPUN120014072026

विविध वाद संख्या–24 / 2026
चन्द्रिका प्रसाद बनाम मुन्नूलाल आदि
दिनांक–07.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 पर सुना गया।

2. संक्षेप में आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 के कथन इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 22.09.2021 को करीब रात्र 08:00 बजे की है। आवेदक घटना के समय अपने घर पर ही उपस्थित था। आवेदक तत्समय अपने परिवार के साथ बैठा था कि अचानक घ ार के बाहर स्थित बिजली के खम्भे में शार्ट शर्किट हुआ व स्पार्किंग होने लगी जिससे प्रतिवादीगणों के घर बिजली चली गयी। बिजली के खम्भे में स्पार्किंग होने प्रतिवादीगणों की घर की बिजली जाने का आरोप प्रतिवादीगण वादीगण पर लगाने लगे व गाली गलौज करने लगे। आवेदक ने जब प्रतिवादीगण को गाली गलौज का विरोध किया तो उक्त प्रतिवादीगण एकराय होकर प्रार्थीगण के ऊपर अपने साथ लाये लाठी डण्डों से वादी व वादी के परिवार पर हमला कर दिया व गालियॉ देते हुए आरोप लगाये गये कि तुम लोगों ने खम्भे पर लाठी मार के हमारे घर की लाईट खराब कर दी है। आवेदक के सिर पर गंभीर चोटें आ गयी हैं। आवेदक जब जान बचाकर अपने घर के अन्दर भागा तो उक्त प्रतिवादीगण लाठी डण्डे लेकर वादी के पीछे भागे व उसके घर में घ ुस आये जहॉ आवेदक व आवेदक के पुत्र की लाठी डण्डों से बुरी तरह पीटने लगे जिससे आवेदक व आवेदक का पुत्र अत्यन्त गंभीर रूप से घायल हो गये जब वादी व वादी की पुत्री को अर्धचेतन अवस्था में देख प्रतिवादीगण गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के घर से निकल भागे। आवेदक के परिवार के सदस्यों को जाते जाते धमकी दी कि यदि थाने या कहीं भी इनकी शिकायत की जो सारे परिवार को जान से मार देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये हमले से वादी व वादी का पुत्र आशुतोष गंभीर रूप से घायल हो गया घटना की जानकारी से मौके पर पुलिस आयी तो पुलिस ने दोनों पक्षों को शान्ति भंग के अपराध में हिरासत में ले लिया वादी से थाने में सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराने के बाद समझौता लगा दिया। आवेदक ने जब अपना इलाज आदि कराकर दूसरे दिन थाने में प्रार्थनापत्र

दिया तो प्रार्थनापत्र लेकर वादी को भेजा जिसके दो दिन बाद आवेदक को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगणों ने सांठ गांठ कर प्रार्थी पर उक्त घटना का मुकदमा भी लिखा दिया है जब कि उक्त घटना में पीड़ित प्रार्थी वादी था किन्तु प्रतिवादीगणों पूरे मामले को पलटकर मुकदमा वादी पर ही लिखवा दिया। जब आवेदक ने इसकी जानकारी करने का प्रयास थाने में किया तो थाने में मौके पर मौजूद सिपाही के द्वारा यह कह कर भगा दिया गया कि अभी साहब नहीं हैं बाद में आना यही कह कर टालते रहे। प्रार्थी ने जब इसके विरूद्ध प्रार्थनापत्र थाने में दिनांक 23.09.2021 को दिया तो कहने लगे कि तुम लोगों का समझौता हो चुका है। आवेदक से उक्त शान्ति भंग के समय थाने में सिपाही के द्वारासादे पेपर बयान दर्ज करने के बहाने से हस्ताक्ष्ज्ञर करायी गये थे। जिस पर समझौता दिखा दिया गया। आवेदक ने कोई समझौता नहीं किया है। थाना बिहार में लगातार प्रथम सूचना रिपार्ट लिखाने के कई प्रयास किये गये किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। जब प्रार्थी का थाना बिहार में कोई सुनवाई नहीं हुई तो प्रार्थी ने दिनांक 24.09.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को हाथों हाथ जनपद उन्नाव जाकर दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुईं। इसके बाद प्रार्थी ने दिनांक 13.04.2026 को पुलिस कप्तान महोदय उन्नाव को एक लिखित प्रार्थनापत्र डाक के माध्यम से प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त आधारों पर यह प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. आवेदक के उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। जिसके अनुसार उक्त प्रकरण से सम्बन्धित थाना स्थानीय पर आवेदक के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत है।

4. आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में सूची साक्ष्य के द्वारा 1–मेडिकल की छायाप्रति, 2– छायाप्रति प्रार्थनापत्र पुसिल अधीक्षक उन्नाव, 3– छायाप्रति प्रार्थनापत्र थाना बिहार उन्नाव,4– छायाप्रति प्रार्थनापत्र पुलिस कप्तान महोदय दिनांकित 27.09.2021, 5– छायाप्रति आधारकार्ड वादी, 6– डाक रशीद मूल रूप से दिनांकित 13.04.2026 दाखिल किया गया है।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मारपीट की घटना दिनांक 22.09.2021 की है तथा उसके द्वारा अब लगभग 5 वर्ष पश्चात् उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक के द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं

किया गया है। मात्र सरसरी तौर पर थाने में प्रार्थनापत्र दिया जाना तथा दिनांक 24.09.20021 को पुलिस अधीक्षक उन्नाव को प्रार्थनापत्र दिया जाना कहा गया है परन्तु उसके पश्चात् लगभग 05 वर्षों तक उसके द्वारा क्या प्रयास किये गये इस सम्बन्ध में आवेदक के प्रार्थनापत्र में किये गये कथन स्वयं में मौन हैं।

7. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर संलग्न पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिये गये प्रार्थनापत्र की दिनांक 27.09.2021 तथा आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में पुलिस अधीक्षक उन्नाव को प्रार्थनापत्र दिये जाने का बताया गया दिनांक 24.09.2021 भिन्न भिन्न हैं। थाने की आख्यानुसार उक्त घटना के सम्बन्ध में आवेदक के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत है। ऐसी परिस्थति में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवेदक द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मात्र पेशबन्दी में उक्त आपराधिक वाद पंजीकृत कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र 173(4) बी0एन0एस0एस0 आधार पर्याप्त न पाते हुए निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. प्रार्थी/आवेदक का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।